



प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय- सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई०ओ०सी०एल० में जमा धनराशि को वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष भुगतान हेतु राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाइन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप कार्यों पर भारित कर बिटुमिन क्रय हेतु किये गये भुगतान के समायोजन हेतु आई०ओ०सी०एल० से वापस प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के सापेक्ष विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 14 मार्गों हेतु कुल ₹0 1,26,55,000/- (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं०-58 के लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्रम सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि० का पत्रांक व दि०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई०ओ०सी०एल० में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3448सी/191सी-5054 आई०ओ०सी०एल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम उदियापुर सम्पर्क मार्ग से बरमबाबा के स्थान तक सम्पर्क मार्ग।	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20 दिनांक 22.03.21	24.28	CN00107 date 23.3.2023	8.70	8.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि० का पत्रांक व दि०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई०ओ०सी० एल० में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	उखरी से नवादा तका० पलिया सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 दिनांक 24.03.21	97.01	CN00107 date 23.3.2023	15.14	15.14
3	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	मो० साहित्यपुरम कालोनी में निगोही मार्ग से राजीव सिंह के मकान तक मार्ग।	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20 दिनांक 22.03.21	42.60	CN00107 date 23.3.2023	3.82	3.82
4	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	निगोही-तिलहर रोड से जहानपुर गौटिया (कुनिया) सम्पर्क मार्ग।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	32.77	CN00107 date 23.3.2023	6.00	6.00
5	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	बख्त्यारपुर जा० गंगई सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 दिनांक 24.03.21	28.86	CN00107 date 23.3.2023	10.13	10.13
6	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	सतनुआ खरगापुर रोड से कलक्टरगंज सम्पर्क मार्ग।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	41.88	CN00107 date 23.3.2023	4.81	4.81
7	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम धूमगर सम्पर्क मार्ग।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	100.74	CN00107 date 23.3.2023	6.30	6.30
8	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	ग्राम हथौड़िया से लोधीपुर सम्पर्क मार्ग।	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20 दिनांक 22.03.21	84.02	CN00107 date 23.3.2023	18.16	18.16
9	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहांपुर	उखरी से पिपरी सम्पर्क मार्ग	108/2021/560 रासनि/23-1-21-68 रासनि/20 दिनांक 24.03.21	85.86	CN00107 date 23.3.2023	8.89	8.89

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

क्रम सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि० का पत्रांक व दि०	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत	चालान संख्या, जिससे धनराशि कोषागार में जमा की गयी है	आई०ओ०सी० एल० में जमा की गयी धनराशि से वापस प्राप्त कर कोषागार में जमा की गयी धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दिनांक 30.03.2026							
10	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहापुर	बहादुरपुर खुर्द मार्ग से बहदुरिया होते हुये अजीजपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	50.65	CN00107 date 23.3.2023	12.50	12.50
11	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहापुर	हरदयालनगर से ऊनखुर्द सम्पर्क मार्ग।	115/2021/596 रासनि/23-1-21-115 रासनि/20 दिनांक 25.03.21	57.04	CN00107 date 23.3.2023	7.32	7.32
12	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहापुर	ग्राम बाजपुर से ग्राम आलमपुर तक सम्पर्क मार्ग (छूटी कड़ी)	99/2021/530 रासनि/23-1-21-102 रासनि/20 दिनांक 22.03.21	75.99	CN00107 date 23.3.2023	18.99	18.99
13	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	प्रा.ख. शाहजहापुर	ग्राम रसूलपुर चठिया में अरविन्द यादव के मन्दिर से गयादीन वर्मा व प्रजापति तथा अरविन्द पाल के मकान से दाताराम के मकान तक मार्ग।	100/2021/483 रासनि/23-1-21-60 रासनि/20 दिनांक 22.03.21	24.75	CN00107 date 23.3.2023	2.43	2.43
14	3448सी/191सी-5054 आईओसीएल बरेलीबरेली/25-26, दिनांक 30.03.2026	नि.ख.-2 कानपुरनगर	बिल्हौर मकनपुर विसधन मार्ग से सन्तुपुरवा मार्ग	57/2021/257 रासनि/23-1-21-96 रासनि/20 दिनांक 23.02.2021	69.96	CM-53 date 22.3.2023	46.110	3.36
कुल योग-								126.55

- (1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

- (2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।
- (4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।
- (5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।
- (6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) तेल कम्पनियों से केवल वही धनराशियाँ वापस लेकर राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर दी जायेंगे, जिनका भुगतान 01.04.2022 से पूर्व किया गया है।
- (9) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑयल कम्पनियों से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों पर किया जाए, जिन कार्यों पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर इसका व्यवर्तन नहीं किया जा सकता है। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है, तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाय।
- (10) प्रश्नगत धनावंटन संबंधी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-आई/952140/2025, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्र संख्या-आई/962076/2025, दिनांक 14.05.2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद) को प्रेषित की जाये। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रतियां भी अवश्य प्रेषित की जायें।
- (11) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनांक 27 मार्च, 2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

तथा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 25.04.2025 के कार्यवृत्त दिनांक 02.05.2025 एवं 14.05.2025 में दिये गये निर्देशों तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने व्यय **रु० 1,26,55,000/- (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख पचपन हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-273/2026/आई/1285148(1)/23-1-26/002-23-1002(002)/215/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा०मंत्री जी/मा०राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
- 5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
- 6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
- 9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ०प्र०शासन।
- 11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।